141

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प– रीवा, संभाग रीवा (म.प्र.)

COURT FEE 20 Rs. भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

श्री विवेक शर्मा एड॰ द्वारा पेश / 28.12.15

28.12.15

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

R. 5258-पी/15

1. चन्द्रिका प्रसाद पिता कन्हैयाराम
2. अजीत कुमार पिता चन्द्रकेश्वर राम
3. प्रदीप कुमार पिता चन्द्रकेश्वर राम
4. विवेक पिता चन्द्रकेश्वर राम
5. अवधराज कुमार पत्नी चन्द्रकेश्वर राम
6. शिव प्रसाद पिता स्व0 कमलाराम
7. अवधेश प्रसाद पिता स्व0 कमलाराम
8. राधाकृष्ण पिता कमलाराम
9. ईश्वर शरण पिता मेवालाल
10. बल्देव पिता ब्यकटेश्वर राम
11. रामजी पिता ब्यकटेश्वर राम
12. विजय नारायण पिता ब्यकटेश्वर राम
13. सुरेश पिता ब्यकटेश्वर राम
14. केतकरण पिता बासुदेव राम
15. मु0 विट्टन वेवा साधूराम
16. राजेन्द्र प्रसाद पिता साधूराम
17. सुरेन्द्र प्रसाद पिता साधूराम
18. उपेन्द्र प्रसाद पिता साधूराम
19. योगेन्द्र प्रसाद पिता साधूराम
20. अवनीश कुमार तनय बृजेश कुमार पाण्डेय उम्र 31 वर्ष
21. रजनीश कुमार तनय बृजेश कुमार पाण्डेय उम्र 28 वर्ष
22. बृजेश कुमार पिता रामाधार राम
23. पानवती उर्फ सोना पुत्री तेजबली राम
24. अहिल्या देवी वेवा अम्बिका राम
25. विष्णु प्रसाद पिता अम्बिका राम
26. दिनेश कुमार पिता अम्बिका राम
27. अंजनी प्रसाद पिता अम्बिका राम
28. कान्ती प्रसाद पिता रंगदत्त राम
29. रामचन्द्र पिता कालिका राम

.........2.........

ग्रहण योग्य है. ... पाय

30. शोनाथ पिता कालिका राम
31. रामेश्वर उर्फ रामनरेश पिता कालिका राम
32. प्रकाश नारायण पिता कालिका राम सभी निवासी ग्राम–हर्रई पूर्व थाना बैढ़न तहसील व जिला सिंगरौली (म0प्र0) ————याचिकाकर्तागण

बनाम

बृजेन्द्रनाथ शर्मा पिता स्व0 दीनबंधु राम उम्र 76 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम–हर्रई पूर्व तहसील व जिला सिंगरौली (म0प्र0) ————————अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 राजस्व संहिता 1959

विरूद्ध आदेश पारित द्वारा तहसीलदार तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 67/अ–6 /13–14 पारित दिनांक 11.06.2015

मान्यवर,

मामले का सूक्ष्म विवरणः–इस प्रकार है कि प्रत्याथी/अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.09.2012 को एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण क्रमांक 155/12 सन् 1938 में पारित आदेश की इत्तलाबी करायी जाय और तद्नुसार अभिलेख अद्यतन किया जाय, इसके अलावा अनावेदक ने उसी आवेदन पत्र के पैरा क्रमांक 8 व 9 में भूमि का नामांतरण किये जाने का भी आवेदन पत्र प्रस्तुत करना बताया गया है। इसी आवेदन पत्र में अनावेदक ने याचिकाकर्ता क्रमांक 1 चन्द्रिका प्रसाद के नाम नामांतरण पंजी क्रमांक 15 आदेश दिनांक 31.03.1981 के द्वारा किये गये नामातंरण आदेश को अवैध एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने का भी निवेदन किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत जबाब और विधि की मंशा पर नियमानुसार विचार न करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.15 को अलोच्य आदेश पारित किया गया है। और इस आदेश के जरिये याचिकाकर्ता तथा अन्य हितबद्ध व्यक्तियों का नाम विलोपित किया जाकर अनावेदक का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया और जल्दी–जल्दी में इसकी इतलाबी भी भू–अभिलेखों में करा दी गई। इससे क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। जिसके निम्नांकित आधार हैः–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया तथा न्याय की दृष्टियों से त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.5258–II/15 जिला–सिंगरौली

चन्द्रिका प्रसाद वर्मा / वृजेन्द्रनाथ शर्मा

(1)	(2)	(3)
23.1.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा एड0 उपस्थित। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है, कि प्रकरण को वह आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः आवेदक अधिवक्ता का अनूरोध स्वीकार किया जाता है, प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	